अपील सूचना अधिकार संख्या 15/2019 (RCMS 2019/00057)
श्री प्रेमचन्द मित्तल पुत्र श्री लक्ष्मण दास मित्तल जाति अग्रवाल निवासी मकान नं 53, गली नं. 08, इन्द्रा कॉलोनी, वार्ड नं 42, श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

25.02.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ, अप्रार्थी जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर की ओर से विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार उपस्थित हुए।

विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार ने कथन किया है कि खाद्य विभाग के आदेशानुसार नया राशनकार्ड बनाने/नाम कटवाने/जोडने का कार्य ई–मित्रा के माध्यम से किया जाता है इसलिए मूल दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण नाम कटवाने की कार्यवाही में प्रयोग में किये गये दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलार्थी को दी जानी सम्भव नही है।

मैने पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2018 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक बिन्दु की सूचना चाही थी। विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण उसने यह अपील पेश की है और निवेदन किया है कि उसे सूचना उपलब्ध करवाई जावे और विभाग के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी श्री प्रेमचंद मित्तल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.11..2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थी :

> मेरे राशन कार्ड संख्या 108504200934 जो आपके विभाग द्वारा जारी किया गया है उसमें दिनांक 25.08.2018 को मेरी पुत्री अनु मित्तल का नाम जान बूझकर षडयंत्र पूर्वक कटवा दिया है जिसकी मुझे कल दिनांक 21.11.2018 को हुई। कृपया कर नाम कटवाने की कार्यवाही में प्रयोग किये गये दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 2019/812 दिनांक 18.02.2019 से अपील पत्र का जवाब निम्न प्रकार से दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.11.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निम्नलिखि सूचना चाही गई है :

> मेरे राशन कार्ड संख्या 108504200934 जो आपके विभाग द्वारा जारी किया गया है उसमें दिनांक 25.08.2018 को मेरी पुत्री अनु मित्तल का नाम जान बुझकर कटवा दिया है जिसकी जानकारी मुझे कल दिनांक 21.11.2018 को हुई। कृपया का नाम कटवाने की कार्यवाही में प्रयोग किये गये दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

इस सम्बन्ध में प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड पत्र संख्या 8783 दिनांक 21.12.2018 द्वारा सूचित किया गया कि खाद्य विभाग के आदेशानुसार नया राशनकार्ड बनाने/नाम कटवाने/जोडने का कार्य ई–मित्रा के माध्यम से किया जाता है। इस सम्बन्ध में आवेदनकर्त्ता द्वारा मूल दस्तावेज ई–मित्रा पर पेश किये जाते है, सम्बन्धित ई–मित्रा द्वारा मूल दस्तावेज इस कार्यालय में जमा नही करवाये गये है। चूंकि मूल दस्तावेज इस कार्यलय में उपलब्ध नहीं है। अतः नाम कटवाने की कार्यवाही में प्रयोग किये गये दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि दी जानी सम्भव नहीं है।

इस प्रकार प्रार्थी को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निर्धारित अवधि में ही सूचित किया जा चुका है। अतः कृपया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र दाखित दफ्तर करने की कृपा करें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने मूल दस्तावेज उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलार्थी को सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई है। उक्त दृष्टिकोण से दिया गया उत्तर सही हैं, फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाएं सम्बन्धित ई–मित्रा से प्राप्त कर, नियमानुसार अपीलार्थी को उपलब्ध करावें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 25.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर